(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (आई.ए.एस.)
अपील संख्या : 220/2023 (11/103/2023)
तारीख रजू : 21.09.2023 (27.07.2023) निर्णय दिनांक : 25.06.2024

1. प्रभात पुत्र ओमकार जाति यादव निवासी ग्राम शेरपुर तहसील बहरोड जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड। **(मृतक)**
   1/1 मूलचन्द पुत्र स्व0 प्रभात
   1/2 भगोती देवी बेवा स्व0 प्रभात
   1/3 सविता पुत्री स्व0 प्रभात
   1/4 रेशम पुत्री स्व0 प्रभात
   1/5 मुकेश पुत्री स्व0 प्रभात
   जातियान अहीर निवासीयान शेरपुर तहसील बहरोड जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड।
   .....अपीलान्टस्

बनाम

1. तहसीलदार बहरोड़, जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़। **.....असल रेस्पोडेन्ट**
2. सुमन देवी पत्नी शीशराम जाति यादव निवासी ग्राम दादीया तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड़। **.....तरतीवी रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय इंतकाल संख्या 925 ग्राम शेरपुर तहसील बहरोड़ दिनांक 27.07.2018 न्यायालय तहसीलदार बहरोड़।

उपस्थित अधिवक्तागण :–
01. श्री सुबेसिंह यादव – वकील अपीलान्टस
02. श्री संतोष कुमार बंसल – वकील रेस्पोडेन्टस

–:: निर्णय ::–

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त उनवानी पत्रावली न्यायायल जिला कलक्टर अलवर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 21.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि मिन अपीलाण्ट द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बहरोड का निर्णय दिनांक 27.07.2018 की पालना में नामान्तकरण संख्या 925 ग्राम शेरपुर तहसील बहरोड जिला अलवर की बाबत इस आशय का प्रस्तुत किया कि नामान्तकरण संख्या 925 ग्राम शेरपुर तहसील बहरोड असल रेस्पो संख्या 2 सुमन देवी ने अन्य लोगो के साथ एक राय होकर विवादित आराजी से मिन अपीलाण्ट को जबरन बेदखल करने व कब्जा करना का प्रयास किया जिस पर अपीलाण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय प्राप्ति हेतु दिनाक 19.07.2016 को आवेदन किये जाने पर नकल दिनांक 21.07.2016 को प्राप्त हुई। तहसीलदार बहरोड द्वारा अपना निर्णय दिनाक 15.02.2016 पत्रावली पर उपलब्ध पूर्व निर्णय 29.09.2015 की अनदेखी कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सुमन देवी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पारित किया गया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 662 रकबा 0.1701 हैक्ट. वाके ग्राम शेरपुर तहसील बहरोड जिला अलवर की बाबत अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरोड जिला अलवर रिमांड प्रकरण न्यायालय अति० जिला कलेक्टर प्रथम अलवर के निर्णय

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

दिनाक 03.06.2015 बाबत नामान्तकरण संख्या 797 ग्राम शेरपुर तहसील बहरोड निर्णय दिनाक 17.06.13 का साक्ष्य सबूत लेकर सही आधार पर निर्णय दिनाक 29.09.2015 पारित किया गया, जिसमे मिन अपीलाण्ट का 232/1701 भाग मानते हुये पटवारी हल्का को नया अंकन दर्ज कर नामान्तकरण प्रस्तावित करने के आदेश दिये जबकि रेस्पो० संख्या 2 सुमन देवी अपने हिस्सा का बेचान शमशेर सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राजपुत साकिन रूध बेहरोज मुण्डावर व रोशन लाल पुत्र फुलचन्द कौम माली साकिन ढाणी अपनी कोठी कोटपुतली को कर चुकी है अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बहरोड आदेश दिनांक 15.02.2016 बाबत नामान्तकरण संख्या 925 वाके ग्राम शेरपुर तहसील बहरोड अपास्त फरमाया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 662 रकबा 0.1701 हैक्ट. वाके ग्राम शेरपुर तहसील बहरोड में अपीलाण्ट का निहित भाग 232/1701 हिस्से की बाबत संशोधित इंतकाल मुताबिक तहसीलदार बहरोड के निर्णय दिनांक 29.09.2015 स्वीकृत फरमाया जावे। जिस पर अपीलाण्ट के द्वारा माननीय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा दिनांक 21.03.2018 को यह आदेश पारित किया गया कि नामान्तकरण संख्या 925 निर्णय दिनांक 15.02.2016 को निरस्त किया जाकर पत्रावली पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षो को सुना जाकर पुनः निर्णय पारित करे तथा उसी अनुसार नामान्तकरण पारित करे। जिस आदेश की अनुपालना मे प्रकरण रिमाण्ड होकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरोड जिला अलवर के समक्ष प्रस्तुत हुआ लेकिन तहत अदालत द्वारा बेजा व गलत प्रकार से रेस्पो० संख्या दो से मिलीभगत करते हुये आलौच्य आदेश दिनांक 27.07.2018 को पारित करते हुये ग्राम शेरपुर के नामान्तकरण संख्या 925 पर पारित निर्णय दिनांक 15.02.2016 को यथावत रखा गया जिस आदेश से व्यथित होकर यह अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की है। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 21.03.2018 की अनुपालना में रिमाण्ड होकर तहत अदालत तहसीलदार बहरोड जिला अलवर के समक्ष प्रस्तुत हुआ जिस रिमाण्ड प्रकरण संख्या 01 प्रवेश दिनांक 28.06. 2018 मे मिन अपीलाण्ट द्वारा श्री रामपाल शर्मा, एडवोकेट को अपना अधिवक्ता नियुक्त किया गया एवं मिन अपीलाण्ट के वकील साहब श्री रामपाल शर्मा, एडवोकेट द्वारा अपीलाण्ट की ओर से वकालतनामा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया लेकिन तहत अदालत तहसीलदार साहब, बहरोड जिला अलवर द्वारा बेजा व गलत प्रकार से रेस्पोडेण्ट सख्या 2 से मिलीभगत करते हुये एवं रूपये लेकर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को बेजा लाभ पहुंचाने की नियत से मिन अपीलाण्ट व उसके अधिवक्ता की गैर मौजूदगी मे उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 27.07.2018 पारित करते हुये नामान्तकरण संख्या 925 पर पारित निर्णय दिनांक 15.02.2016 को यथावत रखा गया जो आदेश इसी स्तर पर अपास्त किये जाने योग्य है। मिन अपीलाण्ट व उसके अधिवक्ता द्वारा जब भी उक्त प्रकरण मे वास्ते सुनवाई हेतु उपस्थित होते तो मुकदमे मे बताया जाता कि मुकदमे मे तारीख लगी हुई है जैसे ही कोई निर्णय या सुनवाई की जावेगी तो सूचित किया जावेगा लेकिन तहत अदालत द्वारा बिना मिन अपीलाण्ट के वकील साहब की मौजूदगी मे उक्त आलौच्य आदेश पारित किये गये है जो इसी बिना पर अपास्त किये जाने योग्य है।

अन्त में वकील अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि तहत अदालत तहसीलदार बहरोड जिला अलवर का आलौच्य निर्णय दिनांक 27.07.2018 बाबत नामान्तकरण संख्या 925 ग्राम शेरपुर तहसील बहरोड जिला अलवर को अपास्त किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 662 रकबा 0.1701 हैक्ट. वाके ग्राम शेरपुर तहसील बहरोड मे अपीलाण्ट का निहित भाग 232/1701 हिस्से की बाबत संशोधित इन्तकाल मुताबिक निर्णय दिनांक 29.09.2015 स्वीकृत फरमाये जाने की कृपा करे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि ग्राम शेरपुर तहसील बहरोड़ के खसरा नम्बर 662 रकबा 0.23 हैक्ट. में प्रभात पुत्र ओमकार हिस्सा 1733/2300 का सहखातेदार था व अन्य खातेदार रामानन्द पुत्र भोलाराम, अभयसिंह पुत्र हरीसिंह व मुन्शीराम पुत्र लहरीमल सम्भाग हिस्सा 1567/2300 के सहखातेदार थे। खातेदार प्रभात ने अपने हिस्से में से 1050/2300 हिस्सा रेस्पोडेण्ट सुमन देवी पत्नी शीशराम के पक्ष में जरिये विक्रयपत्र 29.06.2011 के द्वारा बेचान किया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 709 दिनांक 20.09.2011 दर्ज हो गया था लेकिन बेचान से पुर्व ही उक्त आराजी में से 599 वर्गमीटर भूमि एनएच हेतु अवाप्त हो चुकी थी तथा अवाप्ति का नामान्तकरण बेचान का इंतकाल दर्ज होने के बाद दर्ज हुआ जिससे अवाप्ति में गई भूमि का हिस्सा उन सहखातेदारो के हिस्से में से कम नही किया गया जिसकी भूमि उक्त बेचान से पूर्व ही अवाप्त हो चुकी थी। अवाप्ति भूमि का नामान्तकरण संख 797 के निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट सुमन देवी ने अदालत में चुनौती दी जिस पर तहसीलदार को प्रकरण रिमाण्ड होने पर तहसीलदार बहरोड ने अपने आदेश दिनांक 29.09.2015 के द्वारा यह स्थिति पाई गई :—

जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़

क्र. सं.	नाम सहखातेदार	अवाप्ति से पूर्व दर्ज रकबा	अवाप्ति दिनांक 03.09.2010 में अवाप्त रकबा	शेष रकबा	बेचान दिनांक 29.06.2011 द्वारा विक्रित रकबा	शेष रकबा
1	प्रभात पुत्र ओमकार	1733	451	1282	1050	232
2	रामानन्द पुत्र भोलारा, अभयसिह पुत्र हरीसिंह, मुन्शीराम पुत्र लहरीमल समभाग हिस्सा	567	148	419	——	419
	योग	2300	599	1701	1050	651
3	सुमन देवी पत्नी शीशराम	——	——	——	खरीद दिनांक 29.06.2011 रकबा 1050	1050

तहसीलदार बहरोड़ ने यह स्पष्ट किया कि नामान्तकरण संख्या 797 दर्ज करते समय अवाप्ति आदेश दिनांक 03.09.2010 की पालना सही रूप से नही की गई थी, अवार्ड के मद्देनजर नामान्तकरण का 797 का अंकन सही नही था। प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु प्रभात का हिस्सा 232/1701 रामानन्द वगै0 का हिस्सा 419/1701 तथा सुमन देवी का 1050/1701 दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। इस प्रकार अवाप्ति रकबा 0.599 हैक्ट. भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त की गई भूमि का इंतकाल संख्या 797 दिनांक 17.06.2013 में सुमन देवी का नाम भी अंकन कर दिया अर्थात सुमन देवी को भी अवाप्त होने में शामिल किया गया लेकिन कोई मुआवजा राशि सुमन देवी को नही मिली क्योकि सुमन देवी की आराजी अवाप्त नही हुई थी। बल्कि सुमन देवी को बेचान से पूर्व ही प्रभात व रामानन्द वगै0 की भूमि अवाप्त हुई थी। मुआवजा का निर्धारण शीट क्र0सं0 83 अनुसार रकबा अवाप्त हुआ था। जिस इंतकाल की सुमन देवी द्वारा अपील अति0 जिला कलक्टर प्रथम अलवर में की गई जो दिनांक 17.06.2013 को मंजुर कर तहसीलदार बहरोड़ को रिमाण्ड की गई। तहसीलदार बहरोड़ का प्रकरण संख्या 03/2015 का निर्णय दिनांक 29.09.2015 को किया गया। जिसमें अवाप्त हिस्से के बंटवारे का अंकन भी है तथा उक्त निर्णय में खसरा नम्बर 662 रकबा 232 वर्गमीटर अपीलाण्ट प्रभात के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये जो आदेश राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टी के विपरित था जिस तथ्य की जानकारी उक्त आदेश की पालना करने हेतु हल्का पटवारी को भेजे गये पत्र पर हल्का पटवारी द्वारा मांगे गये मार्ग दर्शन पर हुई क्योकि प्रभात द्वारा खसरा नम्बर 662 रकबा 232 वर्ग मीटर शेष बची भुमि के बजाय रेस्पोडेन्ट सुमन देवी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.07.2014 को 274 वर्ग मीटर भूमि का बेचान कर दिया जिस पर तहसीलदार बहरोड़ द्वारा 274 वर्ग मीटर भूमि का इंतकाल संख्या 876 दिनांक 22.05.2015 को तस्दीक किया तथा सुमन देवी द्वारा प्रभात से पुर्व में खरीदे गये रकबे 1050 मीटर शमशेर सिंह वगै0 को विक्रय कर दिया गया था, जिसका इंतकाल संख्या 894 दिनांक 14.07.2015 को क्रेतागण के नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया। हल्का पटवारी के मार्ग दर्शन पर तहसीलदार बहरोड़ द्वारा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन एवं मिलान किया तो पाया कि खसरा नम्बर 662 का 232 वर्गमीटर रकबा सुमन देवी का हिस्सा बनता है तथा 1050 वर्ग मीटर भूमि शमशेर सिंह वगै0 की जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिनांक 18.01.2016 को किया गया जिसकी पालना में इंतकाल नम्बर 925 दिनांक 15.02.2016 को तस्दीक हुआ। इंतकाल नम्बर 925 दिनांक 15.02.2016 के विपरित अपील प्रभात द्वारा प्रभात बनाम राजस्थान सरकार व सुमन के विरूद्ध अति0 जिला कलक्टर प्रथम अलवर में पेश की गई जो अपील राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजो के विरूद्ध दिनांक 21.03.2018 को मंजूर कर रिमाण्ड की गई। रिमाण्ड आदेश दिनांक 21.03.2018 की पालना में उभय पक्ष उपस्थित हुए तथा वकालतनामा पेश हुआ। उभय पक्ष की सुनवाई के पश्चात तहसीलदार बहरोड़ द्वारा निर्णय दिनांक 27.07.2018 के आदेशानुसार इंतकाल संख्या 925 दिनांक 15.02.2016 को यथावत रखा। इस प्रकार तहसीलदार बहरोड़ द्वारा दर्ज किया गया इंतकाल संख्या 925 दिनांक 27.07.2018 सही व सत्य है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर विद्वान अधिवक्ता की बहस पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नर्मी का रूख अपनाते हुए विलम्ब की अवधि का माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाकर अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील बहस पर मनन किया, कानून की मंशा देखी गई। तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़

नामान्तकरण संख्या 797 गलत था क्योकि अपीलाण्ट प्रभात अपने हिस्से की भूमि एनएच अवाप्ति के बाद बेचान किया किन्तु बेचान का नामान्तकरण पहले खुल गया व अवाप्ति का नामान्तकरण बाद में खुला। नामान्तकरण संख्या 797 में रेस्पोडेण्ट सुमन देवी का रकबा भी अवाप्ति में शामिल कर लिया गया जबकि अपीलाण्ट प्रभात व रामानन्द वगैरह का रकबा कम होना चाहिए था। तहसीलदार बहरोड़ के निर्णय दिनांक 29.09.2015 सही साबित होता है क्योकि तहसीलदार बहरोड़ द्वारा अवाप्त की गई भूमि प्रभात व रामानन्द के रकबे में से कम किया गया था। किन्तु उक्त आदेश के बाद एक मार्गदर्शन दिनांक 18.01.2016 में तहसीलदार बहरोड़ ने अलग आदेश दिया जिसमें अनुतोष दिया कि तहसीलदार बहरोड़ के आदेश 29.09.2015 के बाद प्रभात के हिस्से की भूमि 274 वर्गमीटर को उसने सुमन देवी को बेच दिया व नामान्तकरण संख्या 876 दर्ज होना बताया तथा सुमन देवी ने अपने हिस्से 1050 वर्गमीटर शमशेर सिंह को बेचान किया जिसका नामान्तकरण संख्या 894 दिनांक 14.07.2015 क्रेतागण के पक्ष में दर्ज होना तहसीलदार ने अपने आदेश में जाहिर किया है। प्रभात द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को 274 वर्गमीटर भूमि विक्रय की किन्तु प्रभात के हिस्से में 232 वर्गमीटर भूमि ही शेष होने से उसके पक्ष में 272/1701 हिस्से की भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के पक्ष में दर्ज करने के आदेश दिये जाने पर नामान्तकरण संख्या 925 तस्दीक किया गया है। जिसकी अपील प्रभात ने अति0 जिला कलक्टर प्रथम अलवर के यहां की है। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम अलवर के आदेश दिनांक 21.03.2018 की पालना में प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर तहसीलदार बहरोड़ के द्वारा विधिवत सुनवाई की जाकर अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 25.07.2014 को 274 वर्गमीटर भूमि रेस्पोडेण्ट सुमन देवी को बेचान को ध्यान में रखकर नामान्तकरण संख्या 925 पारित किया गया है, जो सही होना साबित होता है। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट वकील द्वारा अपनी बहस में वर्णित तथ्य पूर्ण रूप से चस्पा होने से अपीलाण्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट की सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.)

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड